बिहार विधान सभा वादवृत।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १७ सितम्बर १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत नारायण लाल, के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Question and Answer.

श्री पी० के० बनर्जी के विरुद्ध आरोप की जांच।

८०। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि वारिसनगर थाना, जिला दरभंगा के भूतपूर्व अंचलाधिकारी, श्री पी० के० बनर्जी के विरुद्ध अन्न, वस्त्र-विकास-योजना और ऋण वितरण संबंधी बहुतेरे भ्रष्टाचार के गंभीर अभियोग थे ;

(२) जिलाधीश, दरभंगा, श्री रामनरेश मिश्र, इंसपेक्टर, भ्रष्टाचार विभाग, दरभंगा तथा श्री रामदत्त सिंह, स्पेशल ऑफिसर, भ्रष्टाचार विभाग, पटना ने उक्त अभियोगों की जांच कर रिपोर्ट कब दी ;

(३) जांच में अभियोगों के संबंध में क्या सब बातें सही साबित हुई हैं ;

(४) उक्त रिपोर्ट पर कौन-सी कार्रवाई हुई है ;

(५) क्या श्री पी० के० बनर्जी ससपेन्ड हैं ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) जनहित के ख्याल से इस खंड का उत्तर देना उचित नहीं होगा।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

(४) प्रश्न नहीं उठता है।

(५) उत्तर नकारात्मक है। सरकार उनके ऊपर लाये गये अभियोग पर फैसला नहीं कर सकी है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—खंड (५) के उत्तर में सरकार ने बताया है कि अभी तक श्री पी० के० बनर्जी के मामले के सम्बन्ध में सरकार फैसला नहीं कर सकी है। उनके ऊपर अभियोग २ वर्ष से पहले लगाया गया और जांच-पड़ताल भी २ वर्षों से चल रही है और जांच अफसर ने कितने महीने पहले अपनी रिपोर्ट दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—यह प्रश्न विचाराधीन है इसलिये फैसला नहीं हुआ है।

सवाल यह है कि इंक्वायरी हुई लेकिन सरकार ने फैसला नहीं किया है।

वित्तीय कार्य :

FINANCIAL BUSINESS.

१९५६-५७ वर्ष का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन ।

PRESENTATION OF THE FIRST SUPPLEMENTARY STATEMENT OF EXPENDITURE FOR THE YEAR 1956-57.

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—महोदय, भारतीय संविधान की धारा २०५ के अनुसार बिहार विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार ऐप्रोप्रिएशन ऐक्ट्स १९५६ द्वारा स्वीकृत खर्च के अलावे १९५६-५७ में जो खर्च होने की संभावना है, उसके सम्बन्ध में मैं प्रथम अनुपूरक विवरण उपस्थित करता हूँ ।

विशेष वादविवाद :

SPECIAL DEBATE.

पाठ्य पुस्तकों की दुष्प्राप्यता तथा इसके सम्बन्ध में सरकार का उत्तरदायित्व ।

SCARCITY OF TEXT BOOKS AND RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT THEREON.

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पाठ्यपुस्तक की दुष्प्राप्यता तथा सरकार के इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व पर वाद-विवाद हो ।

श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है । यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है वह ऑरिजिनल प्रस्ताव नहीं है । यह तो दूसरा प्रस्ताव पाठ्यपुस्तक का है । इसलिए हमारा कहना है कि जो ऑरिजिनल प्रस्ताव है उसीको प्रस्तुत किया आना चाहिए और जो इसके मूवर हैं वही इस प्रस्ताव को मूव करें ।

उपाध्यक्ष—इसके लिये कोई ऑरिजिनल प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा—उपाध्यक्ष महोदय, श्री योगेश्वर घोष और श्री दारोगा प्रसाद राय आदि ने ३ ता० को इसके बारे में एक स्पेशल रिजोल्यूशन (संकल्प) दिया था जो आपके आफिस में वर्त्तमान है, इसलिए वही प्रस्ताव मूव होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष—यह कोई मोशन नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना है ।

श्री योगेश्वर घोष—मैंने अपना प्रस्ताव दिया था जो आपके ऑफिस में होगा ।

उपाध्यक्ष—जो पेपर आया था माननीय चन्द्रशेखर सिंह के नाम से, वह पहले स्वीकृत हो गया था । उसके बाद माननीय सदस्य का पेपर ध्यान में आया । यह बात ठीक है कि माननीय योगेश्वर घोष का प्रस्ताव पहले आया था । चूंकि माननीय श्री चन्द्रशेखर सिंह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है इसलिये वह लिया जायगा । मैं इजाजत देता हूँ कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को संशोधन के रूप में रखें ।

श्री योगेश्वर घोष--उपाध्यक्ष महोदय, दोनों के दो आशय हैं।

श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा--श्री योगेश्वर घोष के प्रस्ताव के ऊपर मेरा एक संशोधन भी है।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का संशोधन यहां नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह--जब मूल प्रस्ताव नहीं सरकूलेट हुआ तो संशोधन कैसे आ गया।

उपाध्यक्ष--यह भी बात ठीक है। जब प्रस्ताव नहीं बटा तो संशोधन कैसे आयेगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने संशोधन भेजा था। आपने कब संशोधन भेजा, आप बतायें तो मैं देखूंगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय--मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। पहले यह निर्णय हो जाय कि दोनों प्रस्ताव में से आपने किसे स्वीकृत किया। यह तय कर देना चाहिये कि कौन-सा प्रस्ताव मूव होगा और कौन-सा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष--यह तो निर्णय हो गया है कि माननीय श्री चन्द्रशेखर सिंह का प्रस्ताव लिया जायगा और माननीय श्री योगेश्वर घोष अपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में रखें।

श्री दारोगा प्रसाद राय--यदि संशोधन के लायक होगा तब तो रखेंगे।

उपाध्यक्ष--एक ही तरह का दोनों प्रस्ताव है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा पाठ्य पुस्तकों की दुष्प्राप्यता तथा इसके सम्बन्ध में सरकार के उत्तरदायित्व पर वादविवाद करे।

उपाध्यक्ष--मैं इस सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूँ कि प्रस्तावक को अधिक-से-अधिक १५ मिनट में समय दूंगा और दूसरे माननीय सदस्य को १०-१० मिनट। इससे बेशी समय नहीं देना है। दो घंटे में ये सारे विवाद समाप्त हो जायेंगे और इसीके अन्दर गवर्नमेंट का जवाब भी होगा।

श्री रामचन्द्र यादव--हुजूर, दो घंटे का समय बिलकुल नाकाफी है। भीषण परिस्थिति को देखते हुए कि विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल रही है और पढ़ाई नुकसान हो रही है। इस गंभीर परिस्थिति में दो घंटे का समय बहुत ही कम है। कम-से-कम इसके लिए दो रोज समय दिया जाय।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हुजूर, आप विचार करें कि दो घंटे का समय बहुत ही कम है और इसी में सरकार को भी जवाब देना है। लीडर ऑफ दी हाउस भी सौभाग्य से मौजूद हैं और जानते हैं कि यह प्रश्न कितना अह्म हो गया है। इसके लिए आप दो घंटे का समय दे रहे हैं। इसके लिए कम-से-कम एक रोज का समय जरूर देना चाहिए। यही आपसे और लीडर ऑफ दी हाउस से भी मेरा आग्रह है।

उपाध्यक्ष—अच्छा इस पर विचार होगा। जो समय निर्धारित है उससे ज्यादा समय निकल सकेगा तो इसपर विचार किया जायगा।

प्रश्न यह है कि :

यह सभा पाठ्यपुस्तकों की दुष्प्राप्यता तथा इसके सम्बन्ध में सरकार के उत्तरदायित्व पर वादविवाद करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सूबे में टेक्स्ट बुक की कमी की वजह से जो हालत हो रही है इसकी ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चारों तरफ ऐसी खबरें सुनने में आती है और रोजाना ही अखबारों में यह रिपोर्ट देखने में आती है कि टेक्स्ट बुक के अभाव में लड़कों की पढ़ाई बन्द है। टेक्स्ट बुक के वितरण में भी जो धांधली चल रही है और इतने दिनों से चल रही है इसके लिये भी मेरा ख्याल है कि सरकार ने अभी तक इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे लड़कों को किताबें मिल सकें और उनकी पढ़ाई में नुकसान नहीं पहुँचे या कम-से-कम नुकसान हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आती कि पहले हमारे यहां एक-एक किताब काफी दिनों तक चलती थी और एकबार जो किताब खरीदी गई वह चार-पांच वर्षों तक चलती थी और पढ़ाई जाती थी। इससे लड़कों को भी बहुत सहूलियत होती थी इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरे-तीसरे क्लास के लिए एक किताब रहती थी, छठे-सातवें के लिए एक किताब, आठवें-नवम् के लिए एक किताब और दसवां-ग्यारहवें के लिए एक किताब रहती थी। लेकिन अब न जाने कौन-सा यह नया सिलसिला खड़ा हो गया है कि हर साल करीब-करीब जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं उन सभी को बदल दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो किताबें एक साल लड़कों ने पढ़ी उसका उपयोग दूसरे साल नहीं हो सकता है। और हर वर्ग के लिए अलग-अलग किताबें रखी गई हैं जिनकी वजह से लड़कों को भी दिक्कत होती है और किताब छापने के इन्तजाम में भी बहुत दिक्कत होती है और फायदा केवल एक ही वर्ग का होता है जिनके जिम्मे पब्लिकेशन का काम होता है। इसके अलावा और दूसरा कोई लाभ नहीं होता और न ऐसी कोई बात होती है जिससे लड़कों की पढ़ाई में तरक्की हो। सरकार ने साथ ही साथ इधर एक टेक्स्ट बुक कमिटी बनाई थी जो किताबों के मुतल्लिक तय करती थी लेकिन जैसा कि मुझको मालूम हुआ है शायद पिछले कुछ वर्षों से वह कमिटी भी फंक्शन नहीं कर रही है और यह अधिकार डिपार्टमेंट ने सोलहो आना अपने हाथ में ले लिया है। और किताबों को पब्लिस करने की ओर बांटने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। आज से दो तीन दिन

पहले इसी सम्बन्ध में एक सवाल का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि अब इन्तजाम किया जा रहा है। और अधिक प्रेसों को किताबें छापने के लिए दी जा रही हैं। मैं पूछता हूँ कि इतनी साधारण सी बात पहले क्यों नहीं हो सकी और एक पब्लिशर को किताब छापने की पूरी जिम्मेदारी और मोनोपोली (एकाधिकार) क्यों दे दी गई। इसके पीछे जो रहस्य है उसे आपको जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है इसलिये कि इसकी वजह से लोगों के दिमाग में अनेकों तरह की गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। हम देखते हैं कि जो किताबें छपीं वह बहुत कम मात्रा में छपीं। जब जुलाई में सेशन शुरू होता है तो यह बहुत मामूली बात थी कि यह सोच लिया गया होता कि जुलाई महीने में कितनी किताबों की जरूरत होगी, उनका इन्तजाम पहले से करना चाहिए था और जून के महीने में मार्केट में किताबों को पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन इसके बदले हमने देखा कि जुलाई या अगस्त में क्या बल्कि अभी तक टेक्स्ट बुक को प्राप्य बनाने का इन्तजाम नहीं किया गया और जो इन्तजाम बहुत पहले होना चाहिए था वह अब तक सरकार नहीं कर पायी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि किताबों का अकाल सारे सूबे में पड़ा तो सूबे के कोने-कोने से किताब बेचने वाले पटना में जमा होने लगे और उन्हें एकबार नहीं, दो-तीन बार, लौटना पड़ा। जो लोग यहां किताबों के लिए आते थे उन्हें तीन-तीन, चार-चार दिन ठहरना पड़ता था। जैसे कंट्रोल के जमाने में कपड़े की कमी थी और लोगों को परमिट मिलती थी उससे भी अधिक दिक्कत खड़ी हो गई और किताबों की पुर्जी जो लोगों को मिलती थी उसे लेकर तीन बजे से ऑफिस के सामने में उन्हें लाइन लगानी पड़ती थी। उसपर भी किताबें इतनी कम थीं कि वे केवल स्थानीय लोगों को मिल सकीं और जो लोग बाहर से दूर-दूर से आते थे उन्हें समय नहीं था कि ८—१० रोज ठहर सकें या पुर्जी लें तो लाइन लगाकर इन्तजार करते रहें और ८—१० दिन के बाद किताब लेकर वापस जायं। जो थोड़ी-बहुत किताबें थीं उनके बांटने में मैं नहीं कहना चाहता कि क्या-क्या बातें थीं। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें धांधली हुई और जो नया तरीका आपके विभाग ने अख्तियार किया उससे ऐसा मालूम होता है कि कोई फायदा कानून नहीं रह गया और मनमाने ढंग से कुछ किताबें छपीं और जो छपीं भी जैसे चाहा बांटी गयी। आज भी मैं यह पूछना चाहूँगा कि इतने शोरगुल के बाद भी कौन-सा ऐसा कदम सरकार ने उठाया है या कार्रवाई की है जिससे टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबुल हो सके। सरकार ने कहा है कि अनेक प्रेसों को ऑर्डर दिया है तो इसमें भी क्यों इतनी देर लगी यह देखने की चीज है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई अर्जेन्सी थी या नहीं और कोई ऐसी जिम्मेदार ऑफिसर था या नहीं जो चेक करता कि टेक्स्ट बुक या पब्लिकेशन समय पर होता है या नहीं और जो गड़बड़ी हो रही है वह क्यों हो रही है और उसे दूर करने की उपाय करना चाहिए था। पिछले दिन माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि जो अफसर थे वह साधारण दर्जे के थे और उनके जिम्मे दे दिया गया था कि वे सारा इन्तजाम करें उन्हें प्रोमोट करके भेजा गया था।

इसकी इनक्वायरी होकर आगे इसके सुधार की तरफ सरकार सही कदम उठाती तो मुझे विश्वास था कि इस ओर काफी सुधार होता। लेकिन अफसोस यह है कि इस ओर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो यह कह सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक कमिटी को पब्लिकेशन का भार देकर एक मोनोपली कायम कर दिया है और इसका अन्त करने के लिए सरकार को अत्यन्त शीघ्र सोचना चाहिये। हमारे शिक्षा मंत्री को इसकी पूरी जानकारी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं, कौन अफसर हैं जिनकी गलतियों के कारण यह परिस्थिति पैदा हो गयी है, इसे सरकार जांच कर देख सकती है। मैं

उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रशेखर सिंह के प्रस्ताव पर यह संशोधन पेश करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा पुस्तकों के अकाल से उत्पन्न भयावह स्थिति पर घोर चिन्ता प्रकट करती है और इसलिये टेक्स्ट बुक कमिटी के कार्य सम्पादन के ढंग पर घोर अप्रसन्नता और क्षोभ जाहिर करती है।

मैं इस संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ देता हूँ —

"That the Assembly expresses its grave concern at the famine of the text books in the State of Bihar and consequently expresses its dissatisfaction on the working of the Text Book Committee."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की सुविधा के लिए इसका अनुवाद कर दिया है। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्हें अंग्रेजी में समझने में सुविधा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण के बाद विद्यार्थियों को आसानी से मिलेंगी। हमारी प्रसन्नता का पहला कारण यह था कि हमारे अधिकांश छोटे-छोटे लड़के जिन्हें पुस्तकें समय पर नहीं मिल पातीं थी उन्हें भी सरकार के हाथ में जाने से समय पर और सस्ते दामों पर मिल सकेगा। लेकिन हमारी जो आशा थी कि कठिनाई दूर हो जायेगी वह नहीं सफलीभूत हुई। बल्कि राष्ट्रीयकरण का ढंग सरकार ने ऐसा अख्तियार किया कि न तो स्टैंडर्ड ही में कोई अच्छा परिवर्तन लाया गया और न बाल्य-वर्ग से ११ क्लास के किसी भी लड़कों को पुस्तकें उपलब्ध होने में कुछ भी आसानी देखने में आयी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमलोगों का लक्ष्य सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। हमने लक्ष्य बनाया है, विधान बनाया है कि हम एक डिमोक्रैटिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे और इस बात को बहुत ज्यादा महत्त्व दिया गया है कि इसको पूरा करने में बच्चों को पढ़ाकर एक सुयोग्य नागरिक बनाया जाय। इसी काम को करने के लिये, प्रथम और द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये बहुत-सी सिफारिशें की गयीं थीं। हमने समझा कि इस काम को करने के लिये प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जहां इस बात की कोशिश की जा रही है कि हर गांव में एक पाठशाला हो वहां राष्ट्रीयकरण के कारण विद्यार्थी आज बिना पुस्तकों के अध्ययय कर रहे हैं। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्दर जो काम हुआ है उसमें केवल ४० प्रतिशत विद्यार्थी जो ५ वर्ष और १४ वर्ष के अन्दर हैं स्कूलों में दाखिल हो सके लेकिन इनको भी हमारी सरकार किताब नहीं पहुचा सकी।

मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जब खाद्य वस्तुओं पर कंट्रोल था और लोगों की हालत बुरी हो गई थी। वही हालत आज इन पुस्तकों को लेकर हो गयी है। हमने अपने संविधान में इस बात का स्वीकार कर लिया है कि १४ वर्ष तक के लड़कों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे १० वर्षों के अन्दर लेकिन हमारा यह काम नहीं हो रहा है। जहां हमारी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं वहां आज बिहार में ऐसी स्थिति है कि पाठ्यपुस्तकों का भारी अभाव है और सरकार ऐसी हो गयी है कि बच्चों को पुस्तकें नहीं दे सकती है।

दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीयकरण हुई तो हमलोगों ने सोचा था कि किताबों की लाखों-लाख प्रतियां छपेंगी तो उनका मूल्य कम हो जायगा। पहले पब्लिशर लोग हजार दो हजार किताबें छापते थे इसलिये किताबों का दाम आठ आना, एक रुपया तथा दो रुपया होता था लेकिन यह उम्मीद की जाती थी कि सरकार के हाथ में जब यह व्यवस्था आयगी तो अधिक संख्या में किताबों के छपने से उनका मूल्य दो आना, तीन आना हो जायगा। यह आशा पूरी नहीं हुई। हम उम्मीद करते थे कि गरीब से गरीब लड़कों के हाथ में किताब पहुँच सकेगी। यह हमारा जो स्वप्न था वह चूर-चूर हो गया। मैं आपसे उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि पहले यादव चन्द्र चक्रवर्ती की अंकगणित तथा वसु की अलजेबरा से बाप भी पढ़ लेता था और बेटा भी और उसका दाम २ रुपया था। आज उसी अंकगणित का दूसरा नाम देकर उसे पांच हिस्से में बांट दिया गया है और हर भाग का दाम एक रुपया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसको बदलने की क्या आवश्यकता थी? हमलोगों ने सोचा था कि सरकार इसे व्यवसाय बनायगी लेकिन न यही हुआ और न किताब पहुँचाने का काम ही हुआ। रही छपाई की बात। सभी लोग जानते हैं कि आज बेसिक स्कूल खुल रहे हैं लेकिन इसके जो चलानेवाले हैं वे अपने लड़कों को बेसिक स्कूलों में नहीं भेजते हैं।

उपाध्यक्ष—इस आलोचना की क्या आवश्यकता है?

श्री योगेश्वर घोष—मेरा कहना है कि अच्छी सामग्रियों से बनी किताबें रखी जायं और उन्हें ट्रेडिशनल स्कूलों में भेजी जाय। अभी जो किताबें हैं वे बच्चों के हाथ में चार-पांच दिन से अधिक नहीं चल सकती हैं क्योंकि पतले कागज पर छपाई हुई है। कहीं भी कोई अच्छी तसवीर नहीं है तथा २० पन्ने से अधिक की किताब नहीं है लेकिन उसका दाम ६ आना रखा गया है। क्या सरकार बता सकती है कि २० पन्ने की किताब का दाम ६ आना क्यों रखा गया है? मेरा कहना है कि किताब का दाम सामग्री के लिहाज से तथा गेटअप के लिहाज से होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि सरकार टेक्स्टबुक की सारी किताबों को नहीं छापती है। बहुत-सी किताबों को पब्लिशर्स छापते हैं। जिन किताबों को सरकार छापती है, जिनपर उनकी मोनोपोली है, जैसे अंकगणित, वे भी पूरी नहीं छपती हैं और लड़कों को किताबें नहीं मिलती हैं। क्या कमिटी के लोग यह बता सकते हैं कि किस कारण से अलजेबरा और अंकगणित बदला गया है? दूसरी किताब नवीनभारती है जो दूसरे, तीसरे क्लास में चलती है........

उपाध्यक्ष—आप समाप्त करें, अब केवल एक मिनट समय बाकी है।

श्री योगेश्वर घोष—मैं अपनी स्पीच के मध्य में हूँ। मैं यादव चन्द्र चक्रवर्ती की तारीफ कर रहा था और सभी लोग समझते हैं कि इसको बदलने की आवश्यकता नहीं थी। यह बड़े दुख की बात है कि राज्य के बच्चों को किताब नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष—अब समय नहीं है, मैं लाचार हूँ।

श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण करके कांग्रेस की सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं दी है। टेक्स्ट बुक कमिटी के जो चेयरमैन हैं उन्हीं के हाथ में सारा काम है और इस तरह डिमोक्रैसी पर आघात करके हमलोगों के साथ अन्याय किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूं।

*श्री मुद्रिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रस्ताव का संशोधन के साथ समर्थन करता हूं। जहां तक पुस्तकों के अकाल का सवाल है यह सर्वविदित है। इस पर अखबारों के जरिये या इस सदन में प्रश्नों के जरिये कई बार क्षोभ प्रकट किया गया। अभी मालूम हुआ है कि इस अभाव के लिये और टेक्स्ट बुक की कमी की वजह से जो विद्यार्थियों को और इस राज्य को क्षति हुई है उसके लिये किसी एक अफसर पर दोष मढ़ दिया गया और उन्हें अपनी जगह से हटाया गया है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि टेक्स्ट बुक कमिटी ने और सरकार ने एक अफसर को स्केपगोट बनाकर अपनी जवाबदेही से बरी होना चाहा है कारण कि जहां तक पब्लिकेशन का सवाल है मैं मान लेता हूं कि एक अफसर की जवाबदेही थी और उनकी लापरवाही और गलती से एक भयानक परिस्थिति पैदा हुई लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में जायं तो २६ अप्रैल, १९५६ को टेक्स्ट बुक कमिटी ने अपना फैसला दी, गजट में साया किया गया कि ये किताबें अप्रूव्ड हुई लिस्ट में रहेगी। अब मैं जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि इतने दिनों तक सरकार कहां सोई हुई थी। अप्रैल के अन्त में फैसला होता है, २० दिनों तक प्रेस ठीक करने में लगता है और अन्त में अखबार के प्रेस में दिया जाता है किताबें छापने के लिये। परिस्थिति को साफ करने के लिये थोड़ा-सा मैं आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो सरकार की ओर से दी गई है। १९५६ के ३१ मार्च तक सारे बिहार में प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या २० लाख ३१ हजार ५१७ है और मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या मिलकर ३२ लाख है। शिक्षकों की संख्या ६७ हजार है। इतने विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें सप्लाई करनी हैं। अप्रैल के अन्त में गजट होता है, मई महीने में प्रेस ठीक होता है और जुलाई महीने में सेशन शुरू होता है, इसी बीच में इतनी किताबें छपवानी है जो सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सकें। सिर्फ १० प्रेस ठीक किये गये और सबसे बड़ी गलती यह हुई कि टेंडर कॉल नहीं हुआ। प्रेस वालों से टेंडर मांगा जाना चाहिये था जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेसवाले आते, लोएस्ट प्राइस या जो बेस्ट होता उनको दिया जाता किताबें छापने के लिए, वह भी नहीं हुआ और साथ-साथ जिन प्रेसवालों को किताबें छापने के लिये दी गई मालूम होता है किसी तरह की बातें प्रेसवालों से तय नहीं की गयी कि कितनी किताबें किस तारीख को वे सप्लाई करेंगे, जबानी बात हुई होगी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में जो ऐग्रिमेंट होनी चाहिये थी नहीं की गई, ऐग्रिमेंट होनी चाहिये थी और यह ध्यान में रखा जाना चाहिये था कि अगर ब्रीच ऑफ ऐग्रिमेंट होगा तो यह सजा दी जायगी और इतनी किताबें इतने दिनों के बीच दे देनी है, छाप करके। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा कि २० लाख विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल्स में हैं और उनको किताबें देनी हैं सिर्फ ८० हजार किताबें छापने का ऑर्डर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप ही बतायें कि किस जगह बुनियादी गलती है, नाकाबीलियत का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है कि २० लाख विद्यार्थियों के लिये सिर्फ ८० हजार किताबें छापने का ऑर्डर दिया गया। इतना ही नहीं किताबें एक ही

भाषा में नहीं लिखी जायंगी, बल्कि अनेक भाषाओं में लिखी जायेंगी, इस प्रकार ८० हजार प्रतियों से क्या होनेवाला है। यह तो अदूरदर्शिता का ही प्रमाण है कि इस तरह से ऑर्डर प्लेस किया गया। इससे बढ़कर कोई इनएफीशिएन्सी (inefficiency) हो ही नहीं सकती है। इसके लिये कौन दोषी है? यह तो समझना ही चाहिये था कि विहार में जब प्राइमरी स्कूलों की संख्या ३२ हजार है और ६७ हजार शिक्षकों की संख्या है तो कितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेस वालों से यह एग्रिमेंट आप करते कि मई में सभी किताबें दे देनी होंगी। अगर १० प्रेस से काम नहीं चलता तो आप ५० प्रेस रखते और इस प्रकार करने से संभव था कि किताबें समय पर मिल जातीं। शिक्षा मंत्री शायद कहेंगे कि सारी चीजें एक अफसर पर छोड़ दी गयी थी, यही हमारी गलती है, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी लापरवाही से यह बात हुई, अगर यही बात है तो शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इतनी बड़ी जवाबदेही एक अफसर पर लाद कर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं। यह सरकार के लिए और टेक्स्ट बुक कमिटी के सेक्रेटरी के लिए अनैतिक है और निन्दनीय है। आपको कहना चाहिए कि हमारी जवाबदेही है, हम इस काम को नहीं कर सके। आपको समझना चाहिए कि जब यह काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है तो उसको बहुत पहले ही शुरू करना चाहिए था। मई-अप्रैल में आपने इसका निश्चय किया और आप इसमें सफल नहीं हो सके तो आपको इस काम को एक वर्ष पहले ही करना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने टेक्स्ट बुक कमिटी को इतने बड़े गुनाह के लिए, इतनी बड़ी गलती के लिये क्या किया? जो इतनी बड़ी गलती राष्ट्र के साथ कर सकता है उसके लिए आपने क्या किया? क्या शिक्षा मंत्री को इसके लिये जवाबदेही नहीं थी कि वह इस चीज को देखें और राष्ट्र के साथ होनेवाले इतने बड़े खिलवाड़ को रोकें। इन्हीं बातों से सरकार की लापरवाही साबित होती है जिसकी हम घोर निन्दा करते हैं।

*श्री दारोगा प्रसाद राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री योगेश्वर घोष

की तरह इन्टेलेक्चुअल स्पीच देना नहीं जानता लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री की वजह से और आमतौर पर सारे मंत्रिमंडल की वजह से जो स्थिति किताबों के अकाल के संबंध में पैदा हुई है वह बहुत शोचनीय है। मुझे खुशी है कि शिक्षा मंत्री ने दो-तीन रोज पहले सारी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है लेकिन किसी सरकार के लिए यह चीज लज्जा से सर झुकाने के लिये काफी है। मैं यह अखबारों से पढ़कर नहीं कह रहा हूं बल्कि छपरा में एक हमारे दोस्त पब्लिशर हैं, अक्सर हो मैं उनके यहां बैठा करता हूं। हजारों-हजार बच्चे देहात से वहां आते हैं वहां किताब खरीदने के लिए और उनके गार्जियन भी आते हैं। वे किताब नहीं मिलने पर ३६ गालियां देकर जाते थे लेकिन हमलोग उनका एक भी जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार की जवाबदेही है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट की बदइन्तजामी की वजह से दस-बारह वर्ष के बच्चों के हृदय में भी सरकार के प्रति कटुभावना फैली है। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्री को दोषी नहीं कहता लेकिन चाहे जिसकी वजह से हो, इस तरह की बातें हुई हैं और आने वाली संतानों के हृदय में यह ठेस पहुंची है। दस रुपये की किताब के लिये रांची से लड़के आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी कंसपिरेसी करके इस काम को किया गया है और इसके लिये हाई पावर कमिटी बनाकर इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा विभाग कोई योजना बनावे उसकी असफलता हो सकती है लेकिन मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी कंसपिरेसी (षडयंत्र) रही है और इस बिहार सूबे के चन्द आदमियों को रातों-रात लाखपति और करोड़पति बनाने की साजिस रही है। ऐसे लोगों को किताबें छापने के लिए दी गईं जिनके पास न तो पूंजी थी और न सामर्थ्य था। एक बार किताब निकाल लेते थे तो जब उससे फिर रुपया आता था तो दूसरा निकालते थे। सोशलिस्टिक पैटन ऑफ सोसाइटी के लेहाजा सैकड़ों पब्लिसर्स जिनसे रुपया कमा सकते थे वह चन्द पब्लिसरों को देकर उनको रातों-रात धनी-मानी बनाया गया। इन सब बातों की इन्क्वायरी होनी चाहिए। आखिरकार कोऑपरेटिव के जरिए इन सारी किताबों की बिक्री होती है और सारा दोष टेक्स्टबुक कमिटी के नाम पर मढ़ देते हैं। टेक्स्टबुक कमिटी के एक सदस्य से मुलाकात हुई वे कहते थे कि मुझे मालूम भी नहीं है कि इतना बड़ा कांड कौन करता है। टेक्स्टबुक कमिटी के मेम्बर को नौलेज (मालूम) भी नहीं है और टेक्स्टबुक कमिटी के नाम पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। जो किताबें चार-पांच आने में बिकती थीं वही आज १५ और १७ आने में बिक रही हैं। तो इतना बड़ा गवर्नमेंट का फेल्योर रहा है। एक किताब निकली नहीं, कि कौन-सी एजेंसी रही है कि सारी किताबें सस्ते दाम पर छपकर लोगों के हाथों में चली गयीं। अगर ऐसी बातें विदेशों में हुई होतीं तो इसी पर गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना पड़ता। लेकिन यहां यह बात नहीं है। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री का व्यक्तिगत इन्टरेस्ट भले ही नहीं हो, लेकिन इनके डिपार्टमेंट की वजह से सरकार का इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये सारी चीजें भविष्य में न हो सकें और आसानी से सभी लोगों को किताबें मिल सकें, यही मेरा कहना है। आपको गवर्नमेंट को चलाना है और छोटी चीजों में गवर्नमेंट का फेल्योर हो जाय यह दुखद बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी चीजों की एक हाई पावर कमिटी के जरिए इन्क्वायरी हो और जो सजा का अधिकारी हो उसको सजा मिले तभी यह स्कैन्डलस काम बन्द हो सकता है। नहीं तो यह बिहार सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकती है।

*श्री रामानन्द तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज सदन में बहस चल रही है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। आज इस राज्य में, जनता में, लड़कों में जितनी बेचैनी है उससे आप भी भली-भांति परिचित हैं। शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन सदन में बड़ी हिम्मत के साथ कहा था कि मेरी गलती के कारण इसमें गड़बड़ी हुई है। मेरी ही गलती के कारण ये सारी चीजें हुईं। इस गलती को जो उन्होंने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। यदि सच्चाई के साथ आपने स्वीकार किया है तो आपका यह पहला कर्त्तव्य था कि आप इस पद से इस्तीफा दे देते जैसा कि इंगलैंड में बजट के तीन दिन पहले प्रकाशित हो जाने पर वहां के अर्थ मंत्री ने इस्तीफा दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े उत्तरदायित्व के पद पर रहते हुए ऐसा क्यों किया। आपने लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी अपनी जानकारी है कि लड़के देहात से पानी में भिंगते हुए, नदी में तैरते हुए आरा किताब खरीदने आते थे मगर निराश होकर उन्हें लौट जाना पड़ता था। आपको सबसे पहले इस्तीफा देकर इस सदन से चला जाना चाहिए था. तभी हम समझते कि आपने सच्चे दिल से अपनी गलती को स्वीकार किया है। आप सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बातें करते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं लेकिन उसे कार्य रूप में नहीं लाते हैं। आपके अनुभवहीनता का परिचय इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। राष्ट्रीयकरण करके आपने दो-चार किताबों को छपने दिया और

बाकी किताबों को छपवाने का उत्तरदायित्व अपने पर लिया, आपने अनुमान किया, आपने बैठकर तय किया कि ये सारी पुस्तकें हम प्रकाशित करा सकते हैं लेकिन हम कहते हैं कि आपने इस काम के लिए सोच-विचार कभी नहीं किया। राष्ट्रीयकरण किया है यह बहुत ही अच्छी चीज है। छोटानागपुर १५ तथा २० जून से सभी पाठशालायें खुल जाती हैं लेकिन आज सितम्बर हो गया लेकिन वहां के लड़कों को अभी तक पुस्तकें नहीं मिल सकी हैं। जहां जून के प्रथम सप्ताह में लड़कों को सारी पुस्तकें मिल जानी चाहिए थीं वहां ऐसा न करके आपने उन बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। आपने बच्चों को पढ़ने के लिए किताब नहीं दिया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पहले के पुराने प्रकाशकों को किताबें छापने के लिए क्यों नहीं दिया? शायद आपने इसलिए नहीं दिया कि वे धोखा देंगे। आपने उनसे टेंडर नहीं मांगा और नये-नये प्रेसों को दिया है।

एक पुस्तक नवजीवन प्रेस से छपी है जिसमें १०५ गलतियां हैं। क्या आपने उसकी देखरेख की है? इस किताब का नाम है "समाज अध्ययन"। यह आठवें वर्ग की किताब है।

श्री रामचरित्र सिंह—इसमें कितने पन्ने हैं?

श्री रामानन्द तिवारी—इस किताब में १८२ पन्ने हैं। जितनी किताबें हैं उन सबों की यही हालत है। समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूं। ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें २१ से कम गलती हो। आपने ऐसे-ऐसे प्रेसों को किताब छापने के लिए दिया है जो किताबों को बाजार में ब्लैकमार्केट में बेच दिया करते हैं। आपको मुनासिब था कि जिन-जिन प्रेसों में इस तरह की गड़बड़ी हुई है, किताब के पब्लिकेशन में, उनको आप प्रासिक्यूट करते।

एक फ्री इंडिया रीडर है। यह सदन के सामने है। ये दो पुस्तकें हैं। गवर्नमेंट की निकाली हुई ये हैं। बिहार टेक्स्ट-बुक कमिटी से छपी हैं। इस किताब का तीसरा एडीशन जो निकला है उसके ऊपर न नाम है कि किस प्रेस से किताब छापी गई है और न और ही कोई निशान है। दूसरे का साइज बड़ा है और इस किताब को देखिए भीतर जो चित्र है उनसे और इसके चित्र से बहुत अंतर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुले आम बाजार में यह बिक रही है; आपके नाम की जालसाजी हो रही है; चोर-बाजारी हो रही है; लेकिन शिक्षा विभाग टुकुर-टुकुर ताकता है। दूसरा, इस चीज को करता तो उसको वह विभाग प्रासिक्यूट करता। मैं पूछता हूं, क्या यही राष्ट्रीयकरण का नमूना है; क्या यही सोशलिस्टिक पैटर्न का नमूना है। मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसपर उन्होंने कौन-सी कार्रवाई की है। मैं आपसे पूछता हूं कि इतना अपराध करने पर भी आप क्यों इस गद्दी पर बैठे हुए हैं?

श्री दारोगा प्रसाद राय—इससे आपको क्या रिलीफ मिलेगी?

श्री रामानन्द तिवारी—ठीक है; अभी तो हम आनेवाले नहीं हैं; अभी तो आपही आईएगा। हम तो १९५७ के बाद आवेंगे; लेकिन जनता को रिलीफ तो जरूर मिलेगी। (हंसी)।

फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को किताब बेचने के लिए दिया। उनके पास पैसे की कमी रही। एक तो आपने कम प्रकाशित ही किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि आरा, मोतिहारी और अन्य शहरों से लड़के पटना में आकर तीन दिन, चार दिन पड़े रहे किताब के लिए और यहां के फुटपाथ पर सोए; फिर भी उनको किताब नहीं आप दे पाते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? वे अपना समय अध्ययन में नहीं लगाकर ५-१० रु० जो उनके मां-बाप ने उन्हें दिये उसको पटने में खर्च करते रहे। आपने जो राष्ट्रीयकरण किया उसका परिणाम यही हम देखते हैं कि आपने अपने उत्तरदायित्व को छोटे-छोटे कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया; लेकिन क्या शिक्षा मंत्री महोदय अपने उत्तरदायित्व से बच सकते हैं? उनके शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व से बच सकते हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको अनुभव नहीं रहने के कारण बिहार की जनता को यह दुख उठाना पड़ रहा है। पहले देहात के छोटे-छोटे दुकानदार २०, १२, २५ रु० की किताब अपने अन्य चीजों के साथ बेचते थे और किताबें आसानी से लोगों को मिल जाया करती थीं। आज आपने कुछ शिक्षकों को बेचने के लिये किताबें दी हैं यह सही है; लेकिन इसको ओपुन रखकर सबको बेचने के लिए दीजिए। सबको नहीं बेचने के लिए दीजिएगा तो इसका परिणाम यह होगा कि स्कूल के मंत्रियों या हेडमास्टरों के नाम से आप किताबें भेजेंगे तो जहां १,००० की जरूरत है वहां ५०० पहुचेंगी और जहां ५०० की जरूरत है वहां १,००० पहुचेंगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो अनुभवहीन हैं उनको बेचने के लिये मत दीजिए और एक बार जो किताब चलाइए उसको कम-से-कम पांच वर्ष तक रखिए और उसमें चेंज (परिवर्तन) मत कीजिए। बिक्री करने के लिए सर्वसाधारण को आप हक दे दीजिए।

<u>श्री गफूर अहमद</u>—यह आपको इन्फारमेशन है या नहीं कि राष्ट्रीयकरण को बदनाम करने के लिए कुछ प्रेस जो एफेक्टेड हुए हैं जालसाजी करके अब इर्द-गिर्द चक्कर काट रहे हैं।

<u>श्री रामानन्द तिवारी</u>—मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए षडयंत्र करते हैं। कुछ एम० एल० ए० भी होंगे।

<u>उपाध्यक्ष</u>—इस तरह का आक्षेप यहां के माननीय सदस्यों पर आप नहीं कर सकते हैं।

<u>श्री रामानन्द तिवारी</u>—अच्छी बात है। मैं इसको वापस ले लेता हूं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आइन्दे सरकार इसपर नियंत्रण करेगी और जून महीने में ही सरकार पाठ्य-पुस्तकों को छपवा करके दुकानदारों को बेचने के लिए दे देगी। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है।

<u>*श्रीमती रामदुलारी सिन्हा</u>—उपाध्यक्ष महोदय,......

<u>उपाध्यक्ष</u>—किसी तरह का रिपीटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर रिपीटीशन होगा तब मैं उसको रोक दूंगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा—अच्छी बात है। सरकार की ओर से विद्यार्थियों के बीच अनुशासनहीनता की बराबर शिकायत होती है लेकिन विद्यार्थियों की इस समस्या को सुलझाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है और यह एक बड़े ही दुख की बात है। अभी तक यह बात सुनने में आ रहीं थीं कि स्कूल और कॉलेज में सीट की कमी हैं पर अब किताबों की बड़ी कमी है और सभी पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों की कोशिश करने पर भी अभी तक नहीं मिली हैं। चन्द महीने से जब पाठ्य पुस्तकों की दुष्प्राप्यता की खबर से अखबारों के कालम रंगने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया कि ठीक समय पर पुस्तकें नहीं मिल रही हैं तब प्रकाशकों का ध्यान इस ओर गया। आज भी ८वें और ९वें क्लास की कुछ पुस्तकें बाजार में प्राप्य नहीं हो सकें हैं। जिस पुस्तक को जुलाई के महीने में ही छपकर बाजार में आ जाना चाहिए था वे अभी तक प्राप्य नहीं हो सकी हैं। इसका नतीजा यह है कि बालकों के अभिभावकों को पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए घंटों तक क्यू (queue) में खड़ा रहना पड़ता है और हताश होकर लौट आना पड़ता है। इतना ही नहीं, अभिभावकों को ऊबकर इन पुस्तकों के लिए ब्लैक मार्केट की शरण लेनी पड़ती है और यह हमारी राष्ट्रीय सरकार की एफीसिएन्सी (कुशलता) का नमूना है। इसकी जिम्मेवारी हमारे शिक्षा मंत्री पर ही नहीं बल्कि उनके विभाग के अफसरों के भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर है और उनको इसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। दिहातों के स्कूलों में तो अभी तक बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। पहले अच्छे-अच्छे लेखक की अच्छी-अच्छी पुस्तकें पाठ्य-पुस्तकों में रखी जाती थीं और इनका सेलेक्शन बहुत पहले ही हो जाता था और समय पर पुस्तकें बाजार में प्राप्य हो जाती थीं लेकिन अब तो अच्छे-अच्छे लेखकों की पुस्तकें पाठ्य-पुस्तकों में नहीं रखी जाती हैं। पहले अच्छी-अच्छी किताबों को छापने के लिए प्रकाशकों में उन पुस्तकों को छापने के लिए होड़-सी लगी रहती थी लेकिन अब तो सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों को छापने का काम अपने अधिकार में ले लिया है। इस अधिकार को लेने का नतीजा यह है कि किताबों का स्टैन्डर्ड बहुत ही नीचा गिर गया है और पाठ्य-पुस्तकों में खराब किताब रखी जाती हैं। इन किताबों को समय पर छापने के लिए भी नहीं दिया जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि लाचार होकर विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को ब्लैक मार्केट की शरण लेनी पड़ती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारे माननीय सदस्य श्री दारोगा प्रसाद राय ने अभी बतलाया है कि केवल इने-गिने प्रकाशकों को इन पुस्तकों को छापने के लिए दिया जाता है जो उनकी शक्ति के बाहर की चीज है और समय पर वे इन किताबों को छापकर बाजार में उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब पटना शहर में अच्छे-अच्छे प्रेस और छापनेवाले मौजूद हैं तब अखबारों में खबर निकलने पर ये प्रकाशक इन पुस्तकों को छपवाने के लिए कलकत्ता और बनारस के प्रेसों की शरण में जाते हैं और इस तरह से बिहार का पैसा यहां के प्रेसों, प्रकाशकों और मजदूरों को न देकर वे लोग बाहर के लोगों को देते हैं। अभी अंजुमन इस्लामियां हाल में प्रेस मजदूरों की एक सभा हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव के जरिए यहां की टेक्स्ट-बुक कमिटी की धांधली का जिक्र किया गया था। उसमें यह बतलाया गया था कि किस तरह से इन पाठ्य-पुस्तकों को कलकत्ता और बनारस में छपवाकर यहां का पैसा वहां के मजदूरों को देकर यहां के मजदूरों को बेरोजगार किया जाता है। उनकी यह मांग थी कि यहां की पाठ्य-पुस्तकों को सरकार यहीं के प्रकाशकों के द्वारा छपवावे। टेक्स्ट-बुक कमिटी की इस धांधली का यह नतीजा है कि यहां के स्कूलों की पढ़ाई चौपट हो गई है और लाचार होकर यहां के विद्यार्थियों को किताबों

के लिए ब्लैक मार्केट की शरण में जानी पड़ती है। इसके चलते यहां के सैकड़ों और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि इन पाठ्य-पुस्तकों को शीघ्र-से-शीघ्र छपवाने की कोशिश करे जिसमें हरएक बच्चों को अब भी ये पुस्तकें मिल जायं और इस असामाजिक दुष्कर्म के लिए एक जांच कमीशन बैठाना चाहिए जो इस चीज को पूरी-पूरी जांच करके एक रिपोर्ट दे जिसके आधार पर कसूर करनेवाले व्यक्ति या अफसरों को कठिन से कठिन दंड दिया जाय इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। जय हिन्द।

श्री रामचन्द्र यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पाठ्य-पुस्तकों को समय पर न

छापकर हमारे शिक्षा विभाग की ओर से यहां के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ एक खेलवाड़ किया गया है और जानबूझकर ऐसा किया गया है। मैं तो समझता हूं कि उनका यह एक जघन्य पाप का काम हुआ है। पहले टेक्स्ट-बुक कमिटी प्रकाशकों से उनकी अच्छी-अच्छी किताबों को मांगती थी और उनमें से भी अच्छी किताबों को पाठ्य-पुस्तकों के लिए मंजूर करती थी। पहले, सालभर पहले इन किताबों की मंजूरी मिल जाती थी और काफी तायदाद में वे समय पर छापकर मौजूद रहती थीं। लेकिन अब तो यह हाल है कि अभी तक ८वें और ९वें क्लास की कई पाठ्य-पुस्तकें छपी नहीं हैं। इसके अलावे यह बात भी है कि हरएक साल किताबों को बदल दिया जाता है और इसके चलते गरीब विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पहले आधी कीमत पर पुरानी किताबों को खरीद कर वे पढ़ लेते थे लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावे जिस किताब का दाम अमुमन दो आना या चार आना पहले था उसकी जगह पर उन्हीं किताबों को १ रु० और १॥ रु० मूल्य इन किताबों का रखा जाता है। हर साल नई किताब रखने से दिहात के लड़कों को भी इनके लिए शहर आना पड़ता है और किताब के लिए दिनभर लाइन लगाने पर शायद ही एक दिन एक किताब मिलती है तो दूसरे दिन दूसरी किताब और इस तरह से किताब खरीदने में ही महीनों का समय लग जाता है। ये बालक भावी नागरिक हैं और उन्हीं के हाथ में हमारे देश की बागडोर आनेवाली है और उनकी पढ़ाई के साथ इस तरह का खेलवाड़ हो रहा है। इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे शिक्षा मंत्री ने अपने पर ले ली है कि उनकी गलती है तो मैं तो उनसे कहूंगा कि डिमोक्रेटिक तरीके के अनुसार जिस बहादूरी के साथ सारी जवाबदेही उन्होंने अपने सर ले ली है तो डिमोक्रेसी का यह भी तकाजा है कि इसके लिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

बहुत-सी किताबें ऐसी हैं जो अभी तक बाजार में अप्राप्य हैं जैसाकि हमारे रामानन्द तिवारीजी ने कहा है। कई छपी हुई किताबों को देखने का भी मौका उनको मिला है और उनका यह कहना है कि इन छोटी-छोटी किताबों में अनेक गलतियां छापने में हुई हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि गलतियों से भरी हुई ये किताबें कैसे बच्चों के पढ़ने के लिए दी जाती हैं। और इन गलतियों से भरी हुई किताबें लड़के पढ़ेंगे तो वे किस प्रकार से उपयुक्त नागरिक बन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी उचित जांच की जाय और जो इसमें दोषी हों उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय जिससे इस प्रकार की धांधली न होने पाये तथा बच्चों और उनके गार्जियनों (अभिभावकों) के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न होने पाये।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथियों ने इस विषय

पर पूरा प्रकाश डाला है और मैं भी चाहता हूं कि दो-चार बात कह दूं। इस पाठ्य-पुस्तक से जितना फायदा होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है, बल्कि उसका कई एक

गुणा नुकसान ही हुआ है। अगर इस प्रकार से पाठ्य-पुस्तक मिलने में धांधली होती रहेगी और विद्यार्थियों को समय पर पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी तो किस प्रकार से वे पढ़ सकेंगे। उनकी भावना किस प्रकार इस राज्य के प्रति होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। वही छात्र आगे चलकर राष्ट्र की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। इस तरह पाठ्य-पुस्तक वितरण की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। मैं छपरा जिले की बात कह रहा हूं। वहां पर लड़के दुकान में किताब के लिए देहातों से झुंड-के-झुंड आते हैं और दिनभर मारे-मारे रहने पर भी उनको किताबें नहीं मिलती हैं जिससे उनको निराश होना पड़ता है। जब किताबें नहीं मिलती थी और लड़के एक दूकानदार से यह पूछ रहे थे कि अब किताब कहां और कैसे मिलेगी तो व्यंगात्मक रूप से दूकानदार ने मेरे सामने कहा कि बैल को वोट देने का यही परिणाम है उन्हीं से मांगो। व्यवस्था से दुखी होकर दूकानदारों को प्रचार करने का साधन हो गया है। देहातों से लड़के १०,२० और ३० के झुंड बनाकर आते हैं और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में जाते हैं, लेकिन वहां पर कह दिया जाता है कि किताब नहीं है, भले ही कुछ को किताब मिल जाती हो। उपाध्यक्ष महोदय, दर्जा १ से लेकर ७ तक को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए किताबें मिलती हैं और ८ से लेकर ११वें दर्जे तक की किताबें सरकार के यहां यानी बैंक के जरिए मिलती हैं जिसके लिए रुपये जमा कराने होते हैं। इन बैंकों में २०० और ३०० या ४०० आदमी एक साथ किताब के लिए जाते हैं और खुशामद भी करते हैं, पर नतीजा यह होता है कि जिनको जिस किताब की जरूरत नहीं है उनको वह किताब दे दी जाती है और जिन *किताबों की उन्हें जरूरत है वे नहीं मिलती। इस प्रकार की धांधली इस टेक्स्ट-बुक कमिटी की हो रही है। इसी जगह पटने के एक्जीवीशन रोड में को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जहां किताबें १ दर्जे से लेकर ७ तक की मिलती हैं। वहां की हालत को आप देखें। यहां पर हजारों आदमी किताब के लिए आते हैं। वे कितने परेशान होते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। फिर भी उनलोगों को किताबें नहीं मिल पाती हैं। पुस्तक विक्रेता हैं वे लोग भी परेशानी से नाकोदम हो गए हैं। किताब के लिए लड़के परेशान हो रहे हैं, उनके गार्जियन भी परेशान हो रहे हैं, फिर भी कोई खास इंतजाम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार अपनी इस नीति को शीघ्र बदले, नहीं तो सरकार को बहुत भारी बदनामी हो जायगी। पढ़ाई होते आज तीन महीने गुजर रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं मिल रही हैं जिससे लड़के पढ़ सकें। जैसा कि अभी किताबों के बारे में दिक्कतें हो रही हैं वैसा पहले नहीं था और सबको आसानी से किताबें मिल जाती थीं। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार कोई ऐसी नीति अख्तियार करे जिसमें सबको सहूलियत से किताबें मिलें और आज की, जो टेक्स्ट-बुक कमिटी की नीति है उसको शीघ्र-से-शीघ्र बदले, क्योंकि इसको लेकर बहुत हाहाकार मचा हुआ है, और सरकार भी बदनाम हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार अपने जवाब में इसपर काफी प्रकाश डाले।

*श्री मुहम्मद ताहीर—जनाब सदर इस मजमून पर बहस हुए हैं उस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि पर्सियन का कपलेट पढ़ दूं तो सारा नक्शा मालूम हो जायगा। इसके पहले मैं चाहता हूं कि इसके मुतल्लिक सरकमस्टान्सेज (परिस्थिति) क्या हैं उसे बता दूं। आपने देखा होगा कि स्कूलों में जो इन्सपेक्शन करने के लिए जाते हैं तो वे पाते हैं कि वहां की लाइब्रेरियों (पुस्तकालयों) की हालत गदरबद-सी है। और वहां जो पढ़ाने वाले मुल्ला हैं वे चाहे दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं या होल्ली इन्कम्पिटेंट (wholly incompetent) हैं। मैं यहां पर वह मिसरा पढ़ देता हूं:

गर हमी मकतबस्त व हमी मुल्ला
कारे तिफलां तमाम खाहद शुद।

इसका मतलब यह है कि अगर यही हालत रही और ऐसे ही पढ़ाने वाले रहे तो लड़कों का दिवाला निकल जायगा। जब ऐसे ही मुल्ला रहेंगे तो उनके लड़कों पर क्या असर पड़ेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर लोग कहते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए लेकिन देखने में यह आता है कि इसकी आड़ में कैपिटालिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। इसी बिना पर आज यह देखने में आ रहा है कि किसी-किसी खास आदमी को किताब छापने के लिए दिया जाता है, इसलिए कि वह अमीर हो जाय चाहे इसकी वजह से बहुत-से आदमी गरीब ही क्यों न हो जाय।

तो हमारा कहना यह है कि हमारे एडुकेशन मिनिस्टर (शिक्षा मंत्री) साहब के आफिस पर कंट्रोल (नियंत्रण) नहीं है। जैसा कि श्री दारोगा प्रसाद राय ने कहा है कि हाई पावर कमिटी बनानी चाहिए और इसके बारे में इन्क्वायरी करानी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार हों या कसूरवार हों, उनको सख्त-से-सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि हमारी गवर्नमेंट के पास इस काम को करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हाई पावर कमिटी बनावे और इसकी इन्क्वायरी करावे तथा कसूरवार व्यक्ति को सजा दे तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं है कि वह ऐसी कमिटी बनावे। इसलिए मैं एडुकेशन मिनिस्टर साहब से दोआ करता हूं कि अगर उनमें ताकत हो तो वे इस प्रकार की कमिटी को जरूर बनावें और इस प्रकार की जो दुःस्थिति किताबों के लिए पैदा हो गई है उसको इन्क्वायरी करावें तो यह समस्या हल हो सकती है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जो किताबें उर्दू की चोरी से या ब्लैक मार्केटिंग से मिलती थीं वह आज बदरी बाबू के जमाने में उसका छपना भी बंद हो गया है। उर्दू की किताबें लोगों को नहीं मिल रही हैं इसके लिए बड़ी परेशानी है, लड़के मरें या जीएं, इसकी फिक्र उनको नहीं है। वे सोचते हैं कि ये तो लड़कों का काम है कि किताब हासिल करें। इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, पाठ्य-पुस्तक की दुष्प्राप्यता की समस्या है। मैं इसे तीन भागों में बांटता हूं। पहला यह है कि यह समस्या क्या है। दूसरा यह है कि इस समस्या का समाधान कितना तक किया गया है या किया जा रहा है और तीसरा यह है कि भविष्य में इसका कोई उपाय होना चाहिए, कोई निराकरण होना चाहिए। समस्यायें चार प्रकार की हैं। पहला यह है कि आपके प्रांत में जो २०-२२ लाख लड़के सातवें दर्जे तक या सातवें दर्जे से ऊपर पढ़नेवाले हैं उनके लिए सभी विषयों में लगभग सवा लाख, डेढ़ लाख के भीतर पुस्तकों की व्यवस्था, दूसरा पुस्तकों का प्रकाशन समय पर होना चाहिए। जुलाई से सत्र आरम्भ होता है तो जुलाई के पहले हफ्ते में बाजार में पुस्तकें मिलने लगें, समय पर पुस्तक मिल पावे इसका प्रबंध होना चाहिए। तीसरी समस्या है कि पुस्तक उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए, ब्लैक मार्केट प्राइस पर नहीं, मुनासिब कीमत पर पुस्तकें मिलनी चाहिए। चौथी समस्या यह है कि पुस्तकों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था ठीक हो और मुनासिब हो। मेरे ख्याल से चार समस्यायें हैं, इनके निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया गया है विचार करें। टेक्स्ट-बुक के कामों को दो विभागों में बांट सकते हैं। एक काम यह है: बहुत-सी पुस्तकों का प्रकाशन सरकार के द्वारा होता है। दूसरे यहां की कुछ पुस्तकों का प्रकाशन प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन का काम करते हैं। उनके द्वारा होता है। जो सरकार के द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन होते हैं, मेरी जानकारी है इस साल ४० लाख सातवें दर्जे के लिए और १० लाख सातवें दर्जे से

ऊपर के लिए, करीब ५० लाख पुस्तकों के प्रकाशन का भार सरकार पर था। लेकिन सरकार ने इस काम को समय पर नहीं किया। मैं नहीं समझता हूं कि केवल पाठ्य-पुस्तकाधिकारी का ही दोष है। उनसे कहीं ज्यादा दोषी तो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा सचिव हैं और डी० पी० आई० हैं। सारा शिक्षा विभाग इस दोष से बरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं पहले से इसकी तैयारी की गई। इसके तीन स्टेज हैं। पहला प्रीपरेशन (preparation) का स्टेज, दूसरा प्रिन्टिंग का स्टेज और तीसरा बटवारा का स्टेज है। प्रीपरेशन (preparation) का जो स्टेज है उसमें बहुत मुश्किल होता है। मई और जून महीने में मैनस्क्रिप्ट लिया जाता है और जुलाई महीने में सत्र आरम्भ होता है। जब मई-जून में पांडुलिपि तैयार होती है तो जुलाई में पुस्तकें कैसे तैयार हो सकती हैं। उन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जितनी तायदाद में प्रेस को देना चाहिए उतनी तायदाद में नहीं दिया जाता है। जहां १५ प्रेस को देना चाहिए वहां ७-८ प्रेस को देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी शक्ति इतनी नहीं कि जितनी किताबों की जरूरत है, प्रकाशित कर सकें, उनकी पूंजी इतनी नहीं कि पुस्तकों का प्रकाशन कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रेस किताब को प्रिंट करके सेक्रेटेरियट में प्रूफ (Proof) के लिए भेजता है तो आपके दफ्तर में एक-एक महीने तक वह प्रूफ योंही पड़ा रहता है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि प्रूफ की कोपी एक-एक महीने तक आपके सेक्रेटेरियट के दफ्तर में पड़ी रही है। जब एक महीना बीत गया तब वह लौटाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, समय की पाबन्दी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां पांडुलिपि समय पर नहीं बनाई जाती हो, जहां योजना एक साथ पहले नहीं तैयार की जाती हो, जहां प्रूफ के देखने में एक-एक महीना लग जाते हैं, जहां इतनी तादाद में प्रेस वालों को काम दिया जाता हो कि वह नहीं पूरा कर सके वहां हम क्या उम्मीद करें कि किताबों का प्रकाशन ठीक समय पर हो सकेगा? उपाध्यक्ष महोदय, यह असम्भव बात है। प्राईवेट तौर पर जो किताबों का प्रकाशन करते हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं कि जब वह अपनी किताबों को सेक्रेटेरियट में स्वीकृति के लिए भेजते हैं तो उसमें एक-एक साल लग जाता है। मैं अपने शिक्षा-मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि १९५५ के जनवरी में कई किताबें स्वीकृति के लिए भेजी गईं लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं मिली। कुछ किताबों को जो १९५५ के जनवरी में भेजी गई थीं, उनकी स्वीकृति १९५६ के अप्रैल में मिली है। आप ही सोचें कि जब एक साल के बाद आप पब्लिशर के यहां किताब छापने के लिए भेजते हैं तो वह समय पर कैसे छाप सकता है और अगर छापकर पूरी किताबें नहीं दे सकता है तो ब्लैकमार्केटिंग चलेगी ही और मंहगी किताबें खरीदकर पढ़ने वाले बच्चे पैमाल होंगे ही। आप इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते हैं। और बड़े पैमाने पर नहीं तो छोटे पैमाने पर ही सही, पिछले साल भी यह समस्या थी। इसलिए हम बड़े अदब के साथ कहेंगे कि आज जिस ढंग से काम हो रहा है इससे इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार ने कोई पार्टीवाली के ख्याल से नहीं बल्कि उसमें कल्पना का अभाव है, दुर्दशिता का अभाव है इसलिये सरकार से देख नहीं सकती और सरकार में जब काम करने की क्षमता नहीं है तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जब समस्या गंभीर हो जाती है और हल्ला होने लगता है तब सरकार की नींद टूटती है। हमारे शिक्षा-मंत्री को प्रेस की अच्छी तरह जानकारी है, और वे सम्पादक का काम कर चुके हैं इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ५० लाख किताबें अगर छापने को है और १० प्रेस को उन्हें छापने के लिए

दिया जाय तो ५ फर्मे की किताब कितने महीने में तैयार होंगी। शिक्षा-मंत्री जी० से, उनके अनुभव के आधार पर, मैं जानना चाहूंगा कि वे यह बतला दें कि ५० हजार किताबें १० प्रेस वाले ८, १० महीने से कम में कैसे छाप सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, किताबें छपने के बाद उनकी सिलाई होती है, और जिल्द बांधी जाती है। यह कौन-सी योग्यता है कि आप ठीक से प्लानिंग नहीं कर सकते कि समय पर बच्चों को किताबें मिल सकें। समय पर किताब लड़कों को देने के लिए आपको एक साल पहले किताबों को स्वीकृति देनी चाहिए थी, एक साल पहले यह तय कर लेना चाहिए था कि कौन-कौन पब्लिशर होंगे, सारे इन्तजमात एक साल पहले आपको करना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब रहा डिस्ट्रिब्यूशन (बंटवारा) का काम। स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के जिम्मे आप जानते हैं कि डिस्ट्रिब्यूशन (बंटवारे) का काम दिया गया है। जो इस काम को करता है। मैं आपको बतलाऊं कि तीन-चार बजे भोर में भी जो आदमी जाता है उनका नम्बर क्यू (Queue) में ५६वां और ६०वां हो जाता है। लोग कई-कई दिन परेशान रहते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, दिहात से जो लोग आते हैं और स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और टिचर्स को-ऑपरेटिव यूनियन से किताबें खरीदते हैं और थोक माल ले जाते हैं। वे खुदरा दाम पर जब बिक्री करेंगे तो जाहिर है कि दो-चार आने प्रति किताब बेशी चार्ज करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह समस्या शायद ठीक से समझी नहीं गई। अगर सरकार इसका समाधान करना चाहती है तो मैं कहता हूं कि इन बातों की जांच-पड़ताल के संबंध में केवल एक अफसर को रिवर्ट (Revert) करने से काम नहीं चलेगा और समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए आपके चीफ सेक्रेटरी जांच करें या एक जांच कमीशन बनाया जाय जो इन तमाम बातों की जांच अच्छी तरह करे। यह कोई छोटी समस्या नहीं है। लाखों-लाख बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने का सवाल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरी ईमानदारी और जबावदेही के साथ आप एक जांच कमीशन के जरिए इन तमाम बातों की जांच-पड़ताल करायें और इसके निराकरण का उपाय करें तभी इस तरह की समस्या का समाधान हो सकता है वरन् हमारा बिहार प्रांत डूब जायगा।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह (बेगूसराय)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर अपने-अपने विचार प्रगट किए हैं जो तथ्य सदन के सामने उन्होंने रखे हैं वे इस बात को बतलाते हैं कि यह समस्या आज एक बहुत बड़ा गंभीर रूप धारण करके हमारे सामने आ खड़ी हुई है। मुझे इस बात के कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इस सरकार के शासन के अन्दर जो अपने को जनप्रिय सरकार कहती है हमारे उन बच्चों को पढ़ने और किताबों के सवाल पर जिन्हें राष्ट्र निर्माता बनना है, आज पूरे सदन को इतनी गरमा-गरमी के साथ बहस करने की जरूरत पड़ी। इस संबंध में और कुछ नहीं कहकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह डंका में ढोल, मिरदंग बजाने की जरूरत पड़ती थी ठीक उसी तरह से आज हमारे शिक्षा विभाग को जिसके हाथ में राष्ट्र निर्माण की इतनी बड़ी जबाबदेही है, झकझोर करने के लिए पूरे सदन को इतनी जोरदार बहस करने की जरूरत पड़ी। यही इस बात का काफी सबूत है कि शिक्षा विभाग को काफी गंभीरता के साथ इस सवाल पर विचार करना चाहिये। इस सिलसिले में सिर्फ दो एक बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि यह बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है कि न जाने हर साल कौन-सी ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाया करती है कि बच्चों की किताबों में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। एक वक्त था कि जब कि १०, १५ साल तक किताबें नहीं बदलती थी और गरीब बेचारे किताबें मांग-मांगकर या कम कीमत पर खरीद कर पढ़ते थे। लेकिन आज हालत यह है कि चौथे, पांचवें तथा छठे स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए १०-१०, १५-१५ किताबें खरीदनी पड़ती हैं, और छोटे-छोटे बच्चों पर इतनी किताबें लाद दी गई हैं जिससे बुद्धि का विकास भी नहीं होता। पहली बात इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हर साल कुछ प्रकाशकों की पाकेट भरने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए जो हर साल किताबों में परिवर्त्तन होता है इससे न अध्यापकों का फायदा होता है और न बच्चों का। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा विभाग जो महज चन्द लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है वह बन्द हो जाना चाहिए और स्टैंडर्ड किताबें लिखी जानी चाहिए जिनके जरिए बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो।

दूसरी बात यह है कि किताब की कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है जो सिवाय मुनाफाखोरी के और कुछ नहीं कही जा सकती।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किताबों को काफी बड़े पैमाने पर छपवाने की कोशिश की जाय जिस तरह पहले थी। आपके यहां इतने बड़े-बड़े प्रेस हैं और साधन हैं और सरकार ने जब इसकी जिम्मेदारी ली है तो यह कहकर आप बरी नहीं हो सकते हैं कि इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं चूंकि चन्द प्रकाशकों को फायदा पहुंचाने की जो सरकार की नीति है उसी के यह परिणाम है कि किताबें समय पर नहीं छपती हैं। इसके अलावे यह मामूली साइकोलौजी (मनोविज्ञान) है बच्चों की कि उनके पढ़ने की किताबों को जरा देखने में सुन्दर होना चाहिए, उनका कभर ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने में दिलचस्पी लें। उसकी तस्वीर अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे उनको पढ़ने में दिलचस्पी ले सकें। जब से शिक्षा विभाग ने पुस्तकों की छपाई अपने हाथ में लिया है तब से वह कबरखाना हो गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पुस्तकों की छपाई का इंतजाम ठीक से होना चाहिये और सस्ती कीमत पर आकर्षक बनाकर बच्चों के सामने लायी जाय। यह जनता और बच्चों की मांग है और बच्चों को चोरबाजारी सिखाने का जो काम हो रहा है उसे बन्द करना चाहिये। यही सदन की आवाज है।

*श्रीमती सुमित्रा देवी—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो समस्या सदन के सामने आयी

है वह इतनी गंभीर है कि जब अभिभावक किताब खरीदने के लिये लाइन में खड़े हुए और उनका पैर थक गया और किताब नहीं मिली तो उन्होंने अपने लड़कों को भेजा और जब लड़कों को भी किताब नहीं मिली तब लड़के कहने लगे कि सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि यह सरकार नहीं रहे तो ठीक है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिये ताकि ऐसी गलती न हो और इसके चलते हमलोगों को गालियां न सुननी पड़ें। जब हमलोगों से लोग पूछते हैं कि इसका क्या कारण है तब उनको किसी तरह समझाया जाता है। श्री दारोगा प्रसाद ने जो कहा है वह सरकार के लिये शर्म की बात है। जवाब देते समय हमलोगों की गर्दन झुक जाती है। आज किताबों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। मैं इस बात का समर्थन करती हूं कि कोर्स हर साल नहीं बदलना चाहिये, कम से कम १० साल तक एक ही कोर्स रहे और नहीं तो ५ साल तो अवश्य ही रहे ताकि गरीब से गरीब आदमी भी

अपने सभी बच्चों को पढ़ा सकें। अभी हर साल बच्चों के लिये नई किताब खरीदनी पड़ती है। इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह प्रश्न सरकार के सामने बहुत दिनों से है और सरकार ने एक प्रश्न में जवाब दिया कि प्रेस को फुर्सत नहीं थी किताब छापने की। इस प्रश्न से स्वयं अपने आपको क्या खराब नहीं लगता है? सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे जल्द से जल्द सबको किताब मिल सके।

Shri S. K. BAGE: Sir, I beg to move :

That the time be extended for discussion on this debate.

DEPUTY SPEAKER: The hon'ble member may please consult the rule and send the motion to me then I shall see whether it is in order and then I may accept it.

आज सदन को ४ बजे से ज्यादा बैठना है क्योंकि एक घन्टे का और डिबेट (Debate) है। कल के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि छुट्टी कर दी जाय लेकिन कल भी एक बजे से सदन बैठेगा, पूरा समय दिया जा रहा है। जितनी गुंजाईश हो सकती थी, की गयी है।

*श्री बदरीनाथ वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो दिन पहले इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस साल किताबों की प्राप्ती में कुछ कठिनाईयां हुई हैं। शर्म, शर्म।

श्री दारोगा प्रसाद राय—आप कृपा करके इसको मिनिमाइज मत कीजिये।

श्री बदरीनाथ वर्मा—मैं मिनिमाइज नहीं करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है उसके इनसिनुएशन को मैं स्वीकार करता हूं कि जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है लड़कों की तकलीफ के बारे में, सभी बातें सही हैं, और मैं इसे कम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस संबंध में मैं दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य—लड़कों से माफी मांगते हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—मुआफी की जरूरत होगी तो मुआफी मांगने के लिये मैं तैयार हूं। मैं इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझता हूं कि गलती हो जाय तो मैं माफी न मांगू। लेकिन इस संबंध में बहुत-सी बातें कही गई हैं उसी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

(इस अवसर पर श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री बदरीनाथ वर्मा— इस सिलसिले में कई तरह की बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह कही गई है कि किताबें हर साल बदलती हैं तो इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत पांच-सात सालों की टेक्स्टबुक हमारे सामने हैं जिनको देखने से पता चलता है कि १९५० से १९५५ तक किताबें नहीं बदली हैं। पहले किताबें बदलती थीं बहुत-से प्रकाशकों को एकोमोडेट करने के लिये, लेकिन गत ५-६ वर्षों से किताबें एकदम नहीं बदली हैं। यह ठीक है कि जैसा कि तिवारी जी ने बताया है किताबों में बहुत-सी गलतियां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी में बहुत सी गलतियां होती हैं, बिहार के प्रेस को छोड़ दीजिये, हिन्दुस्तान में

ऐसे प्रेस बहुत कम है जिसमें हिन्दी की छपाई में गलती न होती हो। मैं इसके कारण पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं। टाइप की वजह से या कम्पोजीशन के समय गलतियां प्रायः हो जाया करती हैं। मेरे पास किताबों की लिस्ट (सूची) है जिससे पता चलता है कि गत ५-६ वर्षों से किताबें कोर्स की नहीं बदली हैं। ६वें दर्जे में 'हिन्दी नया साहित्य', 'राष्ट्रीय साहित्य सुमन' १९५० से ही चलती आ रही हैं और १९५५ तक वही किताबें चलती रही हैं। अतः यह कहना कि हर साल किताबें बदलती हैं, बिलकुल गलत बात है।

श्री रामचन्द्र यादव——लेखक नई किताबों के वही हैं या वे बदल गये हैं ?

श्री बदरीनाथ वर्मा——लेखक नये हैं उनकी जो किताबें इस साल बदली हैं। इसलिये यह कहना कि किताबें हर साल बदल जाती हैं बिलकुल गलत है। सरकार की यह नीति है कि ५-७ सालों तक किताबें न बदली जायें।

दूसरी बात यह कही गई है कि टेंडर कौल नहीं किया गया। यह बात भी बिलकुल गलत है। टेंडर हमेशे कौल किया जाता है और जो लिस्ट (सूची) रहती है उसी को दिया जाता है। प्रेसों की सूची बना लेते हैं और जैसे-जैसे काम होता है वैसे-वैसे प्रेसों को काम दिया जाता है। अतः जो भी प्रेस थे उनको काम दिया गया। हमारे यहां पटने में कम से कम ऐसे प्रेस नहीं हैं जो अच्छी तरह से छपाई का काम कर सकें हिन्दी में, और यह भी वाजिब ख्याल है कि अपने प्रांत के बाहर दूसरी जगह किताबों की छपाई हो।

श्री दारोगा प्रसाद राय——हिन्दी की छपाई कलकत्ते में बहुत अच्छी होती है।

श्री बदरीनाथ वर्मा——उससे भी अच्छी छपाई जर्मनी में होती है।

श्री चुनका हेम्ब्रोम——छोटानागपुर के कितने प्रेस को किताबें छापने को दी गईं ?

श्री बदरीनाथ वर्मा——छोटानागपुर के प्रेस ने टेंडर नहीं दिया इसलिये उनको नहीं दिया और अगर वे टेंडर देंगे तो उनको भी किताबें छापने को दी जायेंगी। इसके लिये कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट ने इस साल जो किताबें अपने हाथ में ले ली हैं उनकी छपाई अच्छी तरह से हो और उसके लिए कोशिश भी की गई है।

लेकिन यहां के प्रेस ऐसे ही हैं जिनके पास मुश्किल से दो-तीन कलर हैं। मेरे पास किताब मौजूद है। यह जो किताब छपी है वह अच्छी नहीं है।

श्री योगेश्वर घोष——बनारस में तो छप सकती हैं और वहां आपने छपवाया है।

श्री बदरीनाथ वर्मा——एक भी किताब बनारस में नहीं छपी है। मैं चाहता हूं कि यहां के लोगों को काम मिले। इसलिए जो हमारे पास सामान या साधन हैं उसी से हमको काम लेना है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बेगूसराय)——१० वर्षों में आपने इतना ही साधन इकट्ठा किया है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—जिन प्रेसों की माननीय सदस्यों ने हिमायत की है उन्हीं प्रेसों के बारे में मैं कहता हूं।

श्री हरमन लकड़ा—क्या सरकार को मालूम है कि रांची में दो-तीन प्रेस बहुत अच्छे हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—आप समझते हैं कि मिशन के प्रेस को छापने के लिए नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको कहता हूं कि संजीवन प्रेस को हमने छापने के लिये दिया था और उसने ठीक तरह से छापकर नहीं दिया।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—माननीय शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं और बीच-बीच में बहुत-से माननीय सदस्य उनसे सवाल पूछ रहे हैं इस तरह रुकावट डालना क्या ठीक है?

सभापति (श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल)—शान्ति, शान्ति। माननीय शिक्षा मंत्री को जवाब देने दें।

श्री बदरीनाथ वर्मा—इस साल काफी प्रेसों को काम दिया गया और उन प्रेसों को किताब छापने के लिए दी गयी जिनकी अपनी किताबें प्रेस्क्राइब (Prescribe) थीं। एक बहुत जरूरी पूछने की चीज है कि हमलोगों की आदत हो गयी है नुक्ता-चीनी करने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन-जिन किताबों को मिलने में दिक्कत हुई है उनकी लिस्ट (सूची) बनायी जाय तो पता चलेगा। जिन किताबों की वजह से लोगों को कष्ट हुआ है उनकी सूची बनायी जाय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमिटी की तरफ से जो किताबें प्रेस्क्राइब (Prescribe) हुई हैं वे दो-तीन सौ हैं लेकिन जिनके संबंध में शिकायतें हुई हैं वे अगर मालूम की जायं तो चार-पांच किताबों को छोड़कर और किताबों के बारे में शिकायत नहीं है।

श्री योगेश्वर घोष—मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी किताबें हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—किताबों की संख्या ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि ३०, ४० से ज्यादा नहीं है। वैसे तो ढाई सौ किताबें प्रेस्क्राइब (Prescribe) हुई हैं। उनमें ४०, ५० किताबें टेक्स्ट बुक कमिटी की हैं। साधारणतया कहा जाता है कि किताबें नहीं मिलती हैं लेकिन किन-किन किताबों के संबंध में ऐसी बात है, यह किसी ने नहीं कहा। और वह कहना वाजिब होगा कि कौन किताब मिलने में दिक्कत हुई है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि ५०, ६० लाख किताबें छपवाने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है। मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह ठीक है कि ग्रेड १ में ज्यादा किताबें लगती हैं लेकिन दूसरे-तीसरे में वह संख्या आधी हो जाती है। जैसे पहले ग्रेड में ८ लाख तो दूसरे में ४ लाख और उसके बाद दो लाख या डेढ़ लाख हो जाता है। क्योंकि ज्यादा

लड़के पहले क्लास में रहते हैं। दूसरे तीसरे में छोड़ देते हैं। फिर चौथे में सही पता चलता है कि कितने लड़के हैं। इसलिए सब किताबों की संख्या कई लाखों में नहीं है। जो शिकायत है वह नीचे क्लास की। क्योंकि उनकी संख्या अधिक रहती है। किताबें भी भिन्न २ भाषा की हैं। इसलिए किसी में ५० हजार, किसी में एक लाख या डेढ़ लाख की जरूरत पड़ती है। इस साल बहुत-से नये स्कूल खुले हैं इसलिए उनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

श्री ताहिर साहब ने कहा है कि और किताबें मिलें या नहीं मिलें, उर्दू की किताबें नहीं मिलती हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उर्दू की किताबों की संख्या बहुत कम होती है इसलिए मामूली प्रकाशक उर्दू एडिशन निकालने में देरी करते हैं। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में प्रकाशन का भार लिया है। चाहे उर्दू की किताबें हों या बंगला की हों सभी किताबें समय पर मिल सकें यह सरकार की नीति है।

यह बहुत जरूरी है कि किताबों को बहुत पहले स्वीकृत करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं पचीसों बार मैंने खुद बैठकर मीटिंग की और इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करता रहा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे यह बताया गया कि सब किताबें छप गयीं और कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकाशक-विशेष को हटाकर ही काम खत्म कर दूं। आपने सवाल पूछा मैंने नाम बतला दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकाशक के मत्थे छोड़ दिया जाय। अगर जिम्मेवारी है तो यह जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। अगर छोटा अफसर फेल करता है तो उसकी भी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। इस चीज को बराबर हमलोग जांचते रहे। मुझे आशंका थी कि शायद इस तरह की बात हो। इसलिए हमने बैठकर हर महीने दो-तीन बार इस बात के संबंध में चर्चा की कि किसी तरह काम होना चाहिये।

इसलिये मैं डिटेल (विस्तार) में नहीं जाना चाहता हूं। एक-एक आदमी के जिम्मेदारी को मैं नहीं कहना चाहता हूं कि किसके चलते यह काम फेल हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट पर है। इस साल दिक्कत होने की खास वजह यह है कि पहले वर्ग, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग के लिये ज्यादा संख्या में किताबें छपनी थीं और इसके लिये हमारे पास पूरा साधन नहीं था। शुरू में ऐसा इम्प्रेशन (impression) हुआ कि किताबें मिल जायंगी या छप जायंगी उन प्रेसों से, जिनको यह काम दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके लिये जो तारीख मुकर्रर की गयी थी, उस तारीख को किताबें प्रेस से नहीं मिल सकीं। तकाजा वगैरह करने पर किताबें आईं।

एक माननीय सदस्य—आर्डर कब दिया गया था।

श्री बदरीनाथ वर्मा—आर्डर किसी को अप्रैल में और किसी को मई में दिया गया।

कुछ मैन्युसक्रिप्ट मिलने में देर हुई चूंकि बहुत-सी किताबें नई लिखाई गई थीं इसलिये जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी। मुझे आशा है कि अगले साल इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगले साल के लिये पहले से ही किताबें छापने के लिये दे दी जायंगी जिससे समय के पहले ही किताब मिल जाय। मैंने यह भी आर्डर दे दिया है कि दिसम्बर-जनवरी माह में ही किताबें छपने के लिये दे दी जायं जिससे मई-जून के महीने में किताबें पूरी संख्या में उपलब्ध हो जायं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपनी तरफ से एक अच्छा प्रेस बनाने के लिये भी योजना बनाई है। इसके लिये एक स्कीम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई है। इस प्रेस में वे सभी साधन मौजूद रहेंगे जिससे किताबें सुन्दर और अच्छी होंगी। नये डिजाइन के जिल्द वगैरह का भी प्रबंध रहेगा। मैं इस चेष्टा में हूं कि यह प्रेस जल्द से जल्द कायम हो जाय। दूसरी चीज जो इस स्थिति को संभालने के लिये की गयी है वह यह है कि जो किताबें बदलने वाली नहीं हैं उनकी छपाई सालों भर होती रहेगी। पांच-छः वर्ष में शायद बहुत कम ही किताबें बदलती हैं। खास करके टेक्स्ट-बुक कमिटी की किताबें तो नहीं के बराबर ही बदलती हैं। आगे साल इस तरह की दिक्कत न हो इसके लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। आशा है इस तरह की स्थिति अगले साल पैदा न हो सकेगी।

उपाध्यक्ष—अब और कितना समय लगेगा?

श्री बदरीनाथ वर्मा—जितना समय मिले उतना ही लगेगा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ भी जा सकता हूं।

ऐसी बहुत-सी बातें कही गई हैं जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। हाई पावर कमिटी की बातें कही गयी हैं। मैं कहता हूं कि हाई पावर कमिटी हो या कोई भी माननीय सदस्य ही चाहें तो मैं उन्हें दिखला सकता हूं। ये बातें छिपाने के लायक नहीं हैं। लोगों को कष्ट न हो, यह गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। इसलिये इस संबंध में कोई भी माननीय सदस्य जो सजेशन (सुझाव) देंगे मैं उसे मानने को तैयार हूं, जहां तक संभव होगा। जहां तक संभव हो सकेगा मैं उस सजेशन (सुझाव) को अमल में लाऊंगा।

ताहिर साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट में वह हिम्मत नहीं है कि वह अपने कार्यों को दिखावे लेकिन मैं कहता हूं कि मुझमें वह हिम्मत है, मैं आपको दिखला सकता हूं कि क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है और क्या-क्या स्कीमें हैं। इस गलती को दूर करने के लिये, तथा वर्त्तमान स्थिति में सुधार हो, इसके लिये जितने भी मान्य सुझाव मुझे मिलेंगे मैं उनको लेने को तैयार हूं। इसलिए इसका कोई डर नहीं है। कम से कम यह इतमीनान मैं दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रेस्टिज या किसी एक बड़े अफसर की प्रेस्टिज की रक्षा करने के लिये उल्टी-सीधी बातों पर पर्दा डाला जाय, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। हमारी, आपकी, सभी की, यह जिम्मेदारी है कि लड़कों को किताब समय पर मिले, वितरण ठीक से हो। मैं आपकी मदद और राय भी चाहता हूं। अभी एसटीमेट्स कमिटी में ये बातें उठाई गई हैं। आपही के सदन के मेम्बर वहां हैं। तो इन बातों पर सोच-समझ कर आप राय दें, मुझको इसकी जरूरत है।

एक बात की शिकायत की गई कि पहले देहात के लोग भी किताबें लिखते थे और देहात के लोगों को किताबें बेचने को मिलती थीं। अभी ७५२ आदमियों को मुकर्रर कर दिया गया है और भी कोई चाहे तो उसको मुकर्रर कर दिया जायगा। एक ही शर्त है कि ज्यादा दाम पर किताबों को नहीं बेचना होगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय—टेक्स्ट-बुक कमिटी की मीटिंग होती है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—मैं बताता हूं। पहले जो टेक्स्ट-बुक कमिटी थी वह दूसरे ढंग की थी। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक नई कमिटी बनाई गई है।

एक सदस्य—कौन-कौन उसके मेम्बर हैं बता दीजिए।

श्री बदरीनाथ वर्मा—यह टेक्स्ट-बुक कमिटी बिल्कुल नई है। इसलिए उसके ऊपर इस साल की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं दी जा सकती है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—पहले वाली कमिटी के मेम्बरों का भी नाम बताइए।

श्री बदरीनाथ वर्मा—वह ३०, ४० मेम्बरों की कमिटी थी, लेकिन कमीशन ने सिफारिश की कि यह कमिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाई कोर्ट जज और पब्लिक कमीशन के मेम्बर हों। उसी ढंग पर अब कमिटी बनी है। हाई कोर्ट जज कोई राजी नहीं हुआ है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर भी कोई राजी नहीं हुए हैं। लेकिन पहले जो मेम्बर थे उनको रखा गया है।

श्री मुहम्मद ताहिर—कौन-कौन लोग हैं?

श्री त्रिवेणी कुमार—और कितने हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—एकाध वाइस-चांसलर के भी रहने की सिफारिश थी तो श्री श्यामनन्दन सहाय वाइस-चांसलर हैं। ६, ७ मेम्बर हैं।

एक सदस्य—शिक्षक के प्रतिनिधि हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—हां हैं, शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह हैं। सुधांशु जी भी हैं। राजनधारी बाबू, रिटायर्ड मेम्बर, पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं। डी०पी०आई० हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—जो रिटायर्ड हैं वह खूब इंट्रेस्ट (interest) लेते होंगे।

श्री बदरीनाथ वर्मा—श्री अबदुस्समद खां, रिटायर्ड डी०पी०आई० हैं। हाई कोर्ट के जज की जगह खाली है, बातचीत चल रही है।

श्री मुहम्मद ताहिर—ये मेम्बरान बंगला, हिंदी, उर्दू जानते हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—ताहिर साहब के सवाल से मालूम पड़ता है कि यही कमिटी का काम है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—ये लोग तो ओभ्हरवर्क्ड (overworked) रहते हैं, जो डिपार्टमेंट कहता होगा वही करते होंगे।

श्री बदरीनाथ वर्मा—हरएक विषय के लिये अलग-अलग वोर्ड है जो उस विषय को किताबों को रिभिउ करता है और देखता है। उनका काम किताबों को देखने का नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—उनका क्या काम है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—उनका काम किताब छपवाने का, छपवाने का तरीका निर्धारित करने का है। कौन किताब लिखेगा और कौन रिभिउ करेगा, इसको देखने का काम उनका नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—छपने के वक्त क्या वे प्रेस में जाते हैं?

श्री बदरीनाथ वर्मा—वे प्रेस में छपने के वक्त नहीं जाते हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जरा इस पर प्रकाश डाला जाय कि पुस्तकों का दाम ज्यादा क्यों है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—मामूली कागज पर जो छपी हुई किताबें मिलती हैं वे टेक्स्ट-बुक कमिटी की ओर से छपी हुई नहीं हैं। अब तो जबसे सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, किताब के कागज में सुधार हुआ है। हमलोग अच्छा कागज देते हैं और इसके लिये हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कागज लेना पड़ता है। कागज मिलने में दिक्कत होती है और अच्छी क्वालिटी का कागज नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि जो पुस्तक टेक्स्ट-बुक कमिटी की ओर से छपी हुई है उनका कागज खराब नहीं है। दाम ऐसे जमाने में ज्यादा होता ही है जबकि कागज मिलने में दिक्कत होती है लेकिन हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि दाम घटे। जहां पर लाखों लाख किताबें छपती हैं वहां पर दाम में कमी जरूर होनी चाहिये और अभी जो दो आने प्रति फर्मा दाम लगता है उसको हम घटा करके डेढ़ आना कर देना चाहते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि अगले साल से ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार की नीति किताबों को छाप कर नफा कमाने की नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर—क्या टेक्स्ट-बुक कमिटी का यह काम नहीं है कि वह किताबों के स्टैंडर्ड और जबान को ठीक करे?

उपाध्यक्ष—अब प्रत्येक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिये समय नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री अपने भाषण को खतम करें।

श्री बदरीनाथ वर्मा—हम पुस्तकों के दाम को घटाने के लिये कोशिश कर रहे हैं और ऐसा इंतजाम हो रहा है कि आगे साल इस तरह की दिक्कत न हो।

उपाध्यक्ष (श्री योगेश्वर घोष से)—क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेना नहीं चाहता हूं। उसमें मैंने 'अप्रसन्नता' और 'क्षोभ' शब्द भी जोड़ दिया है।

श्री रामानन्द उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष पुस्तकों को क्यों बदल दिया जाता है और जहां पर लाखों-लाख किताब छपने को है वहां पर प्रेसवालों की नयी किताबों को छापने के लिये सरकार ही ठीक क्यों नहीं कर देती है ?

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य शान्ति से बैठ जायं। जो सदस्य जब चाहें सदन में उठ कर नहीं बोल सकते हैं।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से इसको पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

एक सदस्य—अब फिर श्री योगेश्वर घोष से उनके संशोधन को वापस लेने के लिये पूछा जाय।

उपाध्यक्ष—क्या श्री योगेश्वर घोष अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आॅफ आर्डर है और वह यह है कि चेयर की ओर से श्री योगेश्वर घोष से संशोधन वापस लेने के लिये पूछा गया है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे अपने संशोधन को वापस लेना नहीं चाहते हैं। फिर उनसे दुबारा इसके लिये पूछना कहां तक जायज है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस पर आपका एक आदेश हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष—जब तक किसी संशोधन या मोशन पर वोट नहीं ले लिया जाता हैं तब तक चेयर को उसके प्रस्तावक सदस्य से उसको वापस लेने के लिये पूछने का हक है।

श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लूं और मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक ही अपने मूल प्रस्ताव को वापस ले लें तो मेरे संशोधन का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष—मूल प्रस्ताव को वापस लेने का सवाल कहां है। उनका प्रस्ताव ही इस विषय पर विचार करने का है और उस पर विचार ही रहा है और हो गया।

श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, सभा की अनुमति से मैं अपने संशोधन को वापस ले लेना चाहता हूं।

(अनुमति नहीं मिली।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"पाठ्य-पुस्तक की दुष्प्राप्यता तथा सरकार के इस संबंध में उत्तरदायित्व पर विचार कर यह सभा पुस्तकों के अकाल से उत्पन्न भयावह स्थिति पर घोर चिन्ता प्रकट करती है और इसलिए टेक्स्टबुक कमिटी के कार्य-सम्पादन के ढंग पर घोर अप्रसन्नता और क्षोभ जाहिर करती है"।

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई:—

हां

श्री शिव महादेव प्रसाद
श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
श्री रामचन्द्र यादव
श्री रामेश्वर यादव
श्री मुन्द्रिका सिंह
श्री पदारथ सिंह
श्री रामानन्द तिवारी
श्री यमुना प्रसाद सिंह
श्री रामसेवक शरण
श्री दामोदर झा
श्री विवेकानन्द गिरि
श्री तिलधारी महतो
श्री फुदेनी प्रसाद
श्री कर्पूरी ठाकुर
श्री वशिष्ठ नारायण सिंह
श्री धनपति पासवान
श्री रामनारायण चौधरी
श्री चन्द्रशेखर सिंह
श्री त्रिवेणी कुमार
श्री जेथा किस्कू
श्री रामचरण किस्कू
श्री बाबूलाल टुडू
श्री चुनका हेम्ब्रोम
श्री सुपाई मुरमु
श्री मदन बेसरा
श्री विलियम हेमब्रोम
श्री जीतू किस्कू
श्री कृष्ण गोपाल दास
श्री बिगन राम
श्री नन्दकिशोर सिंह
श्री न्यारन मुन्डा
श्री हरमन लकड़ा
श्री जुनुस सुरीन
श्री लुकस मुंडा
श्री एस० के० बागे
श्री देवचरण मांझी
श्री बलिया भगत
श्री इगनेस कुजूर
श्री शुभनाथ देवगम
श्री सुखदेव मांझी
श्री सुरेन्द्रनाथ बिरुआ
श्री कबीर मिहिर
श्री हरिपद सिंह
श्री मुकुन्द राम तांती

ना

श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री
*माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा
श्री मुंगेरी लाल
श्री लाल सिंह त्यागी
श्रीमती मनोरमा देवी
श्री रामलखन सिंह यादव
श्री मंजूर अहमद
श्री चेतूराम
श्री रामकिशन सिंह
श्री महावीर चौधरी
श्री योगेश्वर प्रसाद खलिश
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह
श्री अम्बिका सिंह
श्री रंगबहादुर प्रसाद
श्री गुप्तनाथ सिंह
श्री दुलारचन्द राम

नां

श्री जगन्नाथ सिंह
श्री गोविन्द चमार
श्री रामचन्द्र राय
श्री हरिहर प्रसाद सिंह
श्रीमती सुमित्रा देवी
श्री हेमराज यादव
श्री रघुनाथ प्रसाद शाह
श्री रामानन्द उपाध्याय
श्री शिव कुमार पाठक
श्री अब्दुल गफूर मियां
श्री शिव वचन त्रिवेदी
श्री नन्दकिशोर नारायण
श्री जनार्दन सिंह
श्री लक्ष्मी नारायण सिंह
श्री बैजनाथ सिंह
श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा
श्री मुरली मनोहर प्रसाद
श्री प्रभुनाथ सिंह
श्री दारोगा प्रसाद राय
श्री राम विनोद सिंह
श्री केदार पांडेय
श्री विश्वनाथ सिंह
श्री रघुनी बैथा
श्री फैजुल रहमान
श्रीमती पार्वती देवी
श्री हरिवंश सहाय
श्री राधा पांडेय
श्री रामसुन्दर तिवारी
श्री गदाधर सिंह
श्री ब्रज बिहारी शर्मा
श्री शिवधारी पांडेय
श्रीमती रामदुलारी
ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह
महंथ श्यामनन्दन दास
डा० मु० हबीबुर रहमान
श्री ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह
श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी
श्री हरिहर शरण दत्त
श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी
श्री सरयुग प्रसाद
श्री हरिवंश नारायण सिंह
श्री जनक सिंह
माननीय श्री महेश प्रसाद सिंह
श्री शिवनन्दन राम
श्री अब्दुल समी नदवी
श्री यदुनन्दन सहाय
श्री सहदेव महतो
श्री देवकीनन्दन झा
श्री महावीर राउत
श्री बालेश्वर राम
श्री सुबोध नारायण यादव
श्रीमती कृष्णा देवी
श्री जय नारायण झा 'विनीत'
श्री नरेन्द्रनाथ दास
श्री जानकी नन्दन सिंह
श्री कपिलेश्वर शास्त्री
श्री योगेश्वर घोष
श्री काशीनाथ मिश्र
श्री योगेन्द्र महतो
श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह
श्री भागवत प्रसाद
श्री चन्द्रशेखर सिंह
श्री दुर्गा मंडल
श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह
माननीय श्री रामचरित्र सिंह
श्री सर्यू प्रसाद सिंह
श्री शिवव्रत नारायण सिंह
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह
श्री द्वारका प्रसाद
श्री जियालाल मंडल
श्री घनश्याम सिंह
श्री कामता प्रसाद गुप्त
श्री योगेश्वर हाजरा
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल
श्री रास बिहारी लाल
श्री भोलानाथ दास
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह
श्री शीतल प्रसाद भगत
श्री रामनारायण मंडल
श्री लक्ष्मी नारायण "सुधांशु"
श्री अनाथ कांत बसु
श्री मुहम्मद एहसान
श्री जिवत्स शर्मा हिमांशु
श्री बोकाई मंडल
श्री मुहम्मद ताहिर

ना

श्री सुखदेव नारायण सिंह
श्री बाबू लाल मांझी
श्रीमती पार्वती देवी
माननीय श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी
श्री सुखलाल सिंह
श्री राज किशोर सिंह
श्री देवचन्द राम पासी
श्री भुवनेश्वर चौबे
श्रीमती मनोरमा सिंह
श्री हरिदयाल शर्मा
श्री शिवचन्द्रिका प्रसाद

पक्ष में ४४।
विपक्ष में ११२।
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—आज के कार्यक्रम में एक दूसरा प्रस्ताव था जिसके लिए प्रस्तावक महोदय ने बहुत आग्रह किया है कि एक घन्टे का समय निकाला जाय। और इसे थोड़े समय में ही समाप्त कर दिया जाय।

सदस्यगण—नहीं, नहीं, चार बज गये, अब इसके बाद हाउस नहीं बैठना चाहिये।

श्री जगन्नाथ सिंह—हुजूर, आज नहीं तो कल के लिए इसे रखा जाय इसमें क्या हर्ज है। कल १ बजे बैठक होगी, इसलिये १ से २ तक इसको रखा जाय या जैसे हो किया जाय। लेकिन आज यह घोषित कर दिया जाय कि इसको आप कब रखते हैं।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य यदि आधा घंटा और बैठ जायं तो क्या हर्ज है ?

सदस्यगण—नहीं, नहीं। चार बज गया।

उपाध्यक्ष—खैर, आगे इस पर विचार किया जायगा कि इसे फिर कब लिया जाय।

सभा मंगलवार, तिथि १८ सितम्बर, १९५६ के १ बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।

पटना :
तिथि १७ सितम्बर, १९५६।

रघुनाथ प्रसाद
सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि० स० म० (एल०ए०) ३०३—मोनो—८७०+१—४-७-१९५७—मा०च०म० तथा अन्य